2019/00268

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 281/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स कॉपोरेटे कार्यालय, प्लाट नम्बर 5, संस्थानिक क्षेत्र सैक्टर 32 गुड़गांव, एवं क्षेत्रीय क्लस्टर कार्यालय, प्लाट नम्बर जे–2, झालाना इस्टीट्यूशन एरिया, जयपुर। ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री रामकुमार मसीह
2. श्रीमती निधि मसीह

निवासी एफ–7, ए–1, राघव मार्ग राम पथ, श्याम नगर, सोडाला, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋण एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः–बैक प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से ।

निर्णय दिनांक 14-11-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को 28.11.2014 को पुनर्भुगतान हेतु ज़मानत प्रतिभूति के रूप में टाटा सफारी स्ट्रोम ई एक्स, 4 X 2 कार रजि॰ नम्बर आरजे–14 यूडी 6307 को हाईपोथीकेटेड कर कुल रूपये 10,00,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 01.12.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी ऋणी उपस्थित नही है। वकील प्रार्थी की सुना गया।
3. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 01.12.2017 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त दो समाचार पत्र क्रमशः पंजाब केसरी व इकोनोमिक्स टाईम्स में दिनांक 08.08.2018 को धारा 13(2) का नोटिस प्रकाशित कराया गया है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से हाईपोथीकेटेड टाटा सफारी स्ट्रोम ई एक्स, 4 X 2 कार

रजि० नम्बर आरजे–14 यूडी 6307 का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

4. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा ज़ारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

5. आदेश आज दिनांक 12-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज०)